



पत्रांक – एसआरआईसीसी / 2018 / शोध नियम / 4527

दिनांक – 27 अक्टूबर, 2018

सेवा में,

अधिष्ठाता विज्ञान / कला / वाणिज्य एवं प्रबन्धन / विधि / शिक्षा
डी०एस०बी०परिसर नैनीताल / एस०एस०जे०परिसर अल्मोड़ा /
कुमाऊँ विश्वविद्यालय परिसर भीमताल (नैनीताल)।

महोदय / महोदया,

कुलपति जी के आदेशानुसार प्री पी-एच०डी० / पी-एच०डी० मौखिकी परीक्षा के संशोधित नियम वर्तमान में कार्यरत शोधार्थियों के लिए निम्न विवरणानुसार लागू होंगे –

- 1- विश्वविद्यालय के परिसरों में अध्ययनरत शोधार्थियों हेतु प्री पी-एच०डी० / पी-एच०डी० मौखिकी परीक्षा उसी परिसर में सम्पन्न की जायेगी जिस परिसर में शोधार्थी अध्ययनरत / प्रवेशित है। उक्त परिसर में सम्बन्धित विषय के संयोजक एवं विभागाध्यक्ष न होने की दशा में मौखिकी परीक्षा संयोजक की अनुमति के पश्चात् सम्बन्धित परिसर विभागाध्यक्ष एवं शोध निर्देशक द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी। शोधार्थियों को अपनी पी-एच०डी० थीसीस जमा करने से पूर्व इसे अपने शोध निर्देशक एवं संयोजक द्वारा अग्रसारित करवाना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों के शोधार्थियों की प्री पी-एच०डी० / पी-एच०डी० मौखिकी परीक्षा संबंधित विषय के संयोजक के कार्यस्थल पर ही सम्पन्न की जायेगी।
- 2- पी-एच०डी० हेतु विश्वविद्यालय / सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षक एवं विश्वविद्यालय के साथ एमओयू द्वारा सम्बद्ध संस्थानों के वैज्ञानिक Joint Supervisor होंगे।

भवदीय

Rajeev

निदेशक 27/10/2018

Sponsored Research and Industrial Consultancy Cell
कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल

- प्रतिलिपि – 1- निजी सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (शोध), एस०आर०आई०सी०सी०, कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल।
 - 3- परिसर निदेशक, डी०एस०बी०परिसर, नैनीताल / एस०एस०जे०परिसर, अल्मोड़ा।
 - 4- प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल।

Rajeev

निदेशक 27/10/2018

Sponsored Research and Industrial Consultancy Cell
कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल